इकाई 1 वित्तीय संस्थान*

संरचना

1.0 उद्देश्य

1.1 विषय प्रवेश

1.2 वित्तीय संस्थानों की संकल्पना एवं अभिलक्षण

1.2.1 वित्तीय संस्थानों के अभिलक्षण

1.3 वित्तीय संस्थानों के प्रकार

1.4 वित्तीय संस्थानों का महत्व

1.5 वित्तीय संस्थानों के प्रकार्य

1.6 भारतीय वित्तीय व्यवस्था का एक विहंगम चित्रण

1.7 वित्तीय संस्थानों का नियमन

1.8 सार संक्षेप

1.9 शब्दावली

1.10 उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.12 सत्रांत प्रश्न

1.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि –

- वित्तीय संस्थानों की संकल्पना और अभिलक्षणों की व्याख्या;
- वित्तीय संस्थानों के प्रकार्यो पर चर्चा;
- वित्तीय संस्थानों के महत्त्व पर प्रकाशपात;
- भारतीय वित्तीय व्यवस्था का एक विहंगम चित्रांकन; तथा
- वित्तीय संस्थानों के नियमन की आवश्यकता का विश्लेषण।

* प्रो. एस. के. सिंह, प्रोफेसर अर्थशास्त्र (सेवानिवृत्त), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली कृत

1.1 विषय प्रवेश

एक वित्तीय व्यवस्था में शामिल होते है : वित्तीय संस्थान वित्तीय बाजार, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय उपस्कर, वित्तीय व्यवहार और वित्तीय लेनदेन। वित्तीय संस्थानों का तात्पर्य उन सभी संगठनों से है जो व्यक्तियों एवं निगमित ग्राहकों के वित्तीय लेन देनों में सहायक एवं बिचोलियों का काम करते हैं मूलतः वित्तीय संस्थान बचतकर्ताओं और मुद्रा उधार लेने वालो के बीच मध्यस्थ या बिचोलिए होते हैं। वे बचतकर्ताओं से वित्तीय संसाधनों को निवेशकों, उपयोगकर्ताओं या उधार लेने वालों को अन्तरित करते हैं। इन संस्थानों के ऐसे कई प्रकार्य होते हैं जो जन सामान्य को अपनी विभिन्न आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायता करते हैं। ये सभी प्रकार के वित्त विषयक व्यवसायों से जुड़े होते हैं और देश में वित्त सेवाओं के प्रसार विस्तार में बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। अर्थवयवस्था में इनकी भूमिका बहुत निर्णायक रहती है।

वित्तीय संस्थानों के दो बड़े वर्ग होते हैं :– बैंकीय एवं गैर बैंक। सभी वित्तीय संस्थानों के उद्देश्य अलग–अलग होते हैं ओर वे पृथक–पृथक सेवाएँ प्रदान करते हैं जिनसे जुड़े जोखिम स्तर भी भिन्न–भिन्न होते हैं। इस इकाई में हम मुख्यतः वित्तीय संस्थानों के प्रकार्यो, इनकी भूमिका तथा प्रकार में दो पर चर्चा करते हुए भारतीय वित्तीय व्यवस्था का एक विहंगम चित्रांकन भी करेंगे।

1.2 वित्तीय संस्थानों की संकल्पना और अभिलक्षण

शब्द वित्त का आशय मौद्रिक संसाधनों से होता है और **वित्तीयन** संबंध जरूरतमंद व्यक्तियों, व्यवसायों तथा संस्थाओं को आवश्यक मौद्रिक संसाधन सुलभ कराने के कार्यो से होता है।

वित्तीय संस्थान जनसामान्य से उनकी बचते संकलित करने और व्यवसायों तथा संस्थाओं को वस्तुओं के उत्पाद तथा/अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक धनकोष सुलभ कराने से जुड़े होते हैं। ये वैश्विक, राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा फर्म विशिष्ट स्तरों पर कार्य करते है और इनके कार्य के वितान में सार्वजनिक, निजी, एवं राजकीय स्तर सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही ये संस्थान ऐसे वित्तीय उपस्करों में कारोबार करते है जिनमें अनगिनत परिसंपदाएँ एवं देनदारियाँ जुड़ी होती हैं वित्तीय संस्थान ऐसी विधियों एवं प्रक्रियाओं का विकास करते हैं जिनसे वह जमाकर्ताओं से नकदी एकत्र कर सकते हैं। इस प्रकार एकत्र कोष को व्यवसायों तथा अन्य संस्थाओं को त्रृण अथवा निवेश के रूप में प्रदान किया जाता है – ये राशियाँ कतिपय प्रकल्प विशेष एवं अन्य आवश्यकताओं के वित्तीयन के लिए दी जाती हैं।

1.2.1 वित्तीय संस्थानों के अभिलक्षण

वित्तीय संस्थानों के अभिलक्षण इस प्रकार होते हैं –

i) वे बचतकर्ताओं एवं निवेशकों के बीच सेतु का काम करते है।

ii) ये प्रदत्त वित्तीय सेवाओं की लागतें कम करते है।

iii) ये देश में वित्तीय सेवाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

iv) ये अपने ग्राहकों को वित्तीय बाजार में बड़े स्तर पर जोख़िम भरे परिवेश में निवेश पर परामर्श देते हैं। इस प्रकार ये उनकी निवेश निर्णय प्रक्रियाओं को सुधारते हैं।

v) ये अपने निवेश पर उस दर से अधिक कमाते हैं जिस पर उन्होंने नकद कोश संकलित किए हैं। इस प्रकार ये लाभ कमाते हैं।

एक वित्तीय मध्यस्थ की परिसंपदाओं में दिए गए त्रृण खरीदे गए बाँड, तथा कंपनी द्वारा भवन संपदा में किया गया निवेश सम्मिलित होता है। इसके दायित्वों में ग्राहकों की जमाओं; बीमा पॉलीसियों और पेन्शन के भुगतान शामिल होते हैं।

1.3 वित्तीय संस्थानों के प्रकार

यह समझने के लिए कि किसी आवश्यकता विशेष को पूरा करने के लिए कौन–सा वित्तीय संस्थान सर्वोपयुक्त होगा विभिन्न संस्थानों और उन द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बीच अन्तरों को समझ लेना आवश्यक रहता है। मूलतः वित्तीय संस्थानों के तीन प्रकार मदे हैं : (क) बैंकीय संस्थान, (ख) गैर–बैंक वित्तीय संस्थान तथा (ग) पारस्परिक निधियाँ।

संगठित अथवा औपचारिक क्षेत्र : किसी वैधानिक अथवा विधिक प्राधिकरण द्वारा प्रशासित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र कहा जाता है। इसमें बैंकीय तथा गैर–बैंकीय वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं इनमें आगे दो प्रकार भेद किए जाते है : पूंजी बाज़ार एवं मुद्रा या नकद बाज़ार मध्यस्थ।

बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यो के आधार पर उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :

i) व्यापारिक बैंक

ii) निवेश बैंक / औद्योगिक बैंक

iii) विनिमय बैंक

iv) सहकारी बैंक

व्यापारिक बैंक व्यापारिक बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो जमाएँ स्वीकार करते हैं; खातेधारियों को चैक की सुविधा देते हैं; व्यावसायिक, वैयक्तिक तथा गिरवी त्रृण देते हैं तथा जमापुष्टियों और बचत खाते जैसी सामान्य सेवाएँ व्यक्तियों एवं छोटे व्यावसायियों को प्रदान करते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के बैंक संबंधी कार्य व्यापारिक बैंकों में ही संपन्न होते हैं, निवेश बैंकों में नहीं। अब बैंक क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड, वायर अन्तरण तथा (विदेशी) विनियम के लेन देन आदि के माध्यम से भुगतान करने वाले एजेंट के काम भी कर रहे हैं।

असंगठित क्षेत्र यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर कोई विधिक या वैधानिक नियमन लागू नहीं होता। इसमें ऐसे व्यक्ति और संस्थान शामिल हैं जिनके वित्तीय लेन देन के लिए कोई मानकीकृत नियम या विनियमन नहीं होते। भारत में ये रिजर्व बैंक या अन्य किसी विनियामक निकाय के पर्यवेक्षण के अधीन नहीं होते। इस क्षेत्र में स्थानीय महाजन, गिरवी रखने वाले, दुकानदार, भवन स्वामी तथा देशीय बैंकर शामिल हैं। ये जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थानों को नकद राशियाँ उधार देते हैं

पूँजी बाजार के मध्यस्थों/बिचोलियों का आशय व्यक्तियों एवं निगमित निकायों को दीर्घकालिक त्रृण सुलभ कराने वालों से है।

मुद्रा बाजार मध्यस्थ व्यक्तियों एवं निगमों को अलपकालिक त्रृण उपलब्ध कराते हैं।

एक गैर बैंकिग वित्तीय संस्थान [NBFI] जनसामान्य के किसी अंश विशेष से बचतों का संकलन कर व्यक्तियों/निगमों को उनकी विशेष आवश्यकतानुसार त्रृण उपलब्ध कराने वाली कंपनी हैं जो सामान्य बैं के रूप में काम नहीं करते।

ये NBFI निवेश, जोखिम संकलन, वित्तीय परमर्श, दलाली, धनराशि अंतरण तथा चैक भुनाने जैसी वैकल्पिक वित्तीय सेवाएँ सुलभ बनाते हैं। इनके उदाहरणों में सम्मिलित हैं बीमा कंपयिाँ, उद्यम पूँजीदाता, विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ता, कुछ लघु त्रृण संगठन तथा गिरवी रखने वाली दुकाने। ये गैर बैंक वित्तीय संस्थान ऐसी सेवाएँ प्रदान करते है जो सामान्य बैंकों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये साथ ही अपने अपने विशिष्टि कार्यक्षेत्रों में बैंकों के साथ स्पर्धी भी बन जाते हैं।

ये NBFI व्यक्तियों और फर्मों को वित्तीय सेवाएँ प्रान करने में बैंक व्यवस्था के संपूरक होते हैं – ये इन कार्यों में बैंकों से स्पर्धा भी करते हैं। बैंक तो वित्तीय सेवाओं के पूर्वनिर्धारित समूह ही प्रदान करते हैं पर NBFI अपने ग्राहकों की विषेष जरूरतों के अनुसार उक्त समूह के घटक विशेष ही उन्हें प्रदान करते हैं। ये NBFI स्वयं भी किसी क्षेत्र विशेष हेतू ही काम करने का निश्चय कर एक सूचना विषयक अधिलाभ की स्थिति में भी आ जाते हैं। इस प्रकार समूह विभाजन, लक्ष्य निर्धारण एवं विशेषता के माध्यम से NBFI वित्तीय सेवा प्रदाता उद्योग में आंतरिक रूप से स्पर्धा–सवंर्धन करते हैं।

वित्तीय उपस्करों का आशय उन दस्तावेजो से है जो किसी वित्तीय दावे को दर्शाते हैं। ये किसी अवधि विशेष के अंत पर किसी धनराशी के ब्याज या लाभांश सहित भुगतान का दावा/देयता हो सकता है। अंश पूँजी, सरकारी प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड, म्युचुअल फंड त्रृणपत्र, बैंक जमाएँ, भविष्य निधि कोष, बीमा पॉलीसियाँ, कंपनी जमाएँ आदि वित्तीय उपस्करों के कुछ उदाहरण हैं।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) वित्त और वित्तीयन के अर्थ बताएं।

……

……

……

2) वित्तीय संस्थान क्या होते हैं?

……

……

3) वित्तीय संस्थानों के अभिलक्षण बताइए।

……..……..

……..……..

……

4)

……..……..

……..……..

……

5) विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों की रचना का वर्णन करें।

……..……..

……..……..

……

1.4 वित्तीय संस्थानों का महत्व

वित्तीय संस्थान परस्पर तालमेल रखते हुए काम रकते हैं और एक अंतर–निर्भर वित्तीय व्यवस्था की रचना करते हैं। इन संस्थानों का महत्व इसी बात में निहित है कि इनकी सेवाएं वित्तीय व्यवस्था के निर्बाध संचालन का मार्ग प्रशस्त रकती हैं। देश के आर्थिक किवास में वित्तीय

संस्थान ये भूमिका निभाते है :

1) ये जनता एवं निगमों की बचतों को संकलन कर एक विशाल धन राशी एकत्र करने में सहायक होते है।

2) ये कृषि विनिर्माण तथा सेवा उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन के लिए भूमी पर खेती, वस्तुओं के विनिर्माण तथा सेवाएँ प्रदान करने हेतु आवश्यक वित्त सुलभ कराते हैं।

3) ये दीर्घ एवं अलपकालिक वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी करते हैं।

4) बैंक तो साख्सृजन की प्रक्रिया में जमा धनराशियों को बहुगणित भी कर लेते हैं।

5) ये राष्ट्रीय वरीयताओं के अनुसार देश के एक भाग से दूसरे में कोषों का अंतरण करते हैं।

6) ये व्यक्तियों को अपने भौतिक संसाधनों को वित्तीय संसाधनों में परिवर्तित कर उन्हें वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि, विनिर्माण तथा सेवा उद्यमों के संतुलित विकास हेतू सुलभ कराने को प्रेरित करते हैं।

7) ये निवेशकों एवं निकायों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय परिसंपदाएँ सुलभ कराते हैं।

8) ये अनिश्चित अवस्थाओं में जोख़िम नियंत्रण की एक प्रक्रिया सुलभ कराते हैं ये विभिन्न उद्योगों में निवेश विविधीकरण द्वारा पूँजी–हानि की जोख़िम को घटाते हैं।

9) ये उद्यम कौशल को बढावा देते हैं और नए प्रकल्पों में सहायता देते हैं।

10) ये देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र करने में सहायक होते हैं।

11) ये निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

12) ये सरकार को भी वित्त सुलभ करा सकते हैं।

इस संदर्भ में 2008–2009 की वित्तीय मंदी को याद करना बहुत सार्थक होगा। वह घटनाक्रम सहज ही देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थानों के महत्व को उजागर कर देता हैं व्यवसाय नकद कोषों के लिए वित्तीय संस्थानों पर निर्भर करते है। वित्त नहीं मिल पाने पर बेरोजगारी में वृद्धि होती है, गिरवी त्रृण आदि के भुगतान नही हो पाते, जन सामान्य अपना व्यय कम करते है तो परिणामस्वरूप अन्य व्यक्तियों/व्यवसायों की आय कम होती हैं। सरकार के राजस्व संकलन में गिरावट आती है और उनके द्वारा खर्च में कटौती से और अधिक बेरोजगारी फैलती है .... आदि। यही कारण है विश्वभर की सरकारें अपने–अपने वित्तीय संस्थानों में उनको डूबने से बचाने लिए अरबों–खरबों डॉलर की धन राशियाँ लगाने को तैयार हो गई ताकि समूची अर्थव्यवस्था को दीवालिएपन से बचाया जा सके।

लेकिन वित्तीय संस्थानों से वास्ता पड़ने पर पूरा ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। कई बार ग्राहकों को इन संस्थानों की कार्यप्रणाली बड़ी जटिल प्रतीत होती है – क्योंकि वे तरह तरह के काम करते समय स्वयं भी विभ्रम के शिकार हो सकते है। किसी वित्तीय संस्थान प्रबंधन द्वारा अशोधन (दायित्व भुगतान में विफलता) का ग्रहाकां के लिए तो बहुत ही भीषण दुश्परिणाम हो सकता है। उनकी निवेश की गई राशियाँ डूब सकती हैं।

वित्तीय संस्थान किसी न किसी रूप में अधिकांश जन समुदाय की सेवा करते हैं क्योंकि वित्तीय कार्य प्रत्येक अर्थव्यवस्था का अभिनन अंग होते हैं और जनता तथा कंपनियों की अपने लेन देने और निवेशों के लिए वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता रहती है। ये वित्तीय निक्षेपों का विकास करते हैं ऐसा वित्त बाजार सुलभ कराते जहाँ उधार देने व लेने वाले, निवेशक, सट्टेबाज़ तथा पूर्वोपायक भविष्य में ब्याज, परिसंपदा स्वामित्व की प्राप्ति के लिए धनकोषों का लेन करते हैं। इन लेनदेनों में अंशपूंजी, भावी दावों के भुगतान विकल्प एवं व्युत्पन्न आदि तथा जोख़िम संकलन आदि हेतु बीमा शुल्कों का समूहन आदि सम्मिलित हैं अतः अनेक प्रकार से वित्तीय संस्थान त्रृण्दाताओं, निवेशकों और त्रृण पाने वालों के बीच धन कोषों के आदान प्रदान को संभव बनाते हैं।

1.5 वित्तीय संस्थानों के प्रकार्य

आइए वित्तीय व्यवासियक के माध्यम से बचतों के निवेशकों की ओर प्रवाह के तीन आयामों को समझ लें :

i) अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होने वाली बचत एवं निवेश राशियों के आकार (ii) ये प्रश्न कि कौन बचाता है और कौन निवेश करता हैं तथा अनततः (iii) बचतकर्ता से निवेशक की ओर वित्तीय संस्थानों एवं बाजार के माध्यम से कोष प्रवाह/ वित्तीय संस्थान

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रको के लिए अनेक उपयेागी कार्य संपादित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

भुगतान तन्त्र का निर्देशन : वित्तीयव्यवस्था का एक प्राथमिक कार्य ाुगतान तन्त्र का प्रबंधन करना हैं ये भुगतान तन्त्र व्यक्तियों एवं व्यवसायों के बीच रोजमर्रा के व्यापारिक लेनदेने से जुड़ा हैं वित्तीय व्यवसाी चैक तथा बचत खातों, डेबिट एंव क्रेडिट कार्डों तथा तार–अन्तरणों के माध्यम से इन लेनदेन विधियाँ व्यक्तियों, व्यवसायों एवं अन्य संस्थाओं को अपेन वित्तीय लेनदेन दैनंदनिक आधार पर करते रहने में सहायक होती हैं

संसाधनों एवं पूँजी के रूप में सहायता : वित्तीय संस्थान उन व्यक्तियों एवं निगमों की संसाधन एवं पूँजी प्रबंधन में सहायता करते हैं जो वापस भुगतान करने में सक्षम हों। बैंक एवं अन्य संस्थान संसाधन संकलित कर उधार लेना सरल बना देते हैं। त्रृण एवं क्रेडिट कार्ड परिवारों एंव व्यवसायों को आवश्यकता के समय उधार लेकर उनका नियमित समय पर भुगतान करने में सहायक रहते हैं किसी नए या पुराने व्यवसाय के लिए त्रृण पूँजी पाना या वैयक्ति त्रृण लेना कठिन हो सकता है और वित्तीय संस्थान यहाँ लोगों/संस्थाओं को आवश्यक पूँजी जुटाने में सहायक होते हैं।

वित्तीय संसाधनो का अन्तरण : वित्तीय संस्थान एक से दूसरे स्थान तक संसाधन अन्तरण में सहायक होते हैं। ये सहायता निगम–निवेश, भू–भवन संपदा क्रय, निर्माण त्रृण तथा अन्य बड़े लेनदेने के लिए प्रदान की जाती हैं ये संस्थान व्यक्तियों/निगमों की अपेक्षा कही अधिक आसानी से बड़ी धन राशियों का अन्तरण कर देते हैं। इसी में इनके इस प्रकार्य की महत्ता है।

जोख़िम प्रबंधन ' ये संस्थान परिवारों एवं निगमों के लिए जोख़िम का प्रबंधन करते हे। वित्त क्षेत्र की बीमा कंपनी आदि बड़ी संख्या में लोगों के जोख़िम का समूहन कर व्यवसाय तथा निजी जीवन के संभव आक्समिकताओं का सामना करना आसान बना देती हैं

वित्तीय निर्णयों को सविचारित बनाना : ये संस्थान निर्णयों को सहज बनाने वाली आवश्यक जानकारी सुलभ करा सकते हैं जहाँ भी निर्णायक स्तर के मौद्रिक निर्णय लिए जाते हैं वहाँ उस जानकारी का महत्व सहज ही समझ आ सकता हैं इन संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी निर्णय लेने वालो को तुरंत फैसला करने में सहायक होती हैं ये अपने ग्राहकों को बहुत उच्च स्तर की परामर्श सेवा प्रदान कर उनके निवेश को लाभप्रद बनाते हैं।

बाजार को बनाए रखना : ये संस्थान लोगों एवं संस्थाओं को अंशपूँजी में निवेश करना सरल बनाते हैं ये व्यक्ति अधिक प्रतिप्राप्ति की अपेक्षा में अपने अल्प एवं दीर्घकालिक निवश कर सकते हैं दलाल एवं स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थान अंशपूँजी खरीदने वालों से नकद प्रवाह के आधार कंपनियों को पूँजी निर्गम करने में सहायक होते हैं प्रायः अंशपूँजी बाजार को पूरे वित्तीय क्षेत्र की नब्ज़ की तरह माना जाता है।

आजकल नवप्रणवता एवं सृजनशीलता ने वित्तीय संस्थानों के प्रकार्य वितान को बहुत विस्तृत बना दिया है और इनकी गतिविधियों के क्षेत्र निरंतर विकास हो रहे हैं। ये ग्राहकों

द्वारा अपने निक्षेपों का ध्यान रखने की लागत को घटाने के लिए निक्षेपागार सुविधाएँ भी प्रदान कर रहे है।

संक्षेप में, परिसंपदा प्रबंधन, प्रतिप्राप्ति दर, तरलता, बचतों को जुटाना, पूँजी निर्माण, परिपक्कवता और जोख़िम परवर्तन, विनिमय लागत न्यूनीकरण, भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाना आदि कार्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहको के लिए करते ही हैं।

1.6 भारतीय वित्तीय व्यवस्था का एक विहंगम चित्रण

भारतीय वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता इसके दो बड़े घटक–समूह हैं। एक संगठित या औपचारिक क्षेत्र है जिसमें व्यापारिक, विकास एवं सहकारी बैंक, स्टॉक मार्केट तथा बीमा एवं म्युचुअल फंड जैसे अनयान्य गैर–बैंक वित्तीय संस्थान शामिल हैं। दूसरा घटक समूह परंपरागत या असंगठित क्षेत्र है जिसे अनौपचारिक साख बाजार भी कहते हैं। यह दूसरा क्षेत्र सामान्यतः छोटे उद्यमों, किसानों एवं उपभोग के उद्देश्य से त्रृण देता है। अपने ग्राहकों, ब्याज दरों, साख की शर्तों, विभिन्न व्यावसायिक व्यवहारों कार्य क्षेत्रों के भौगोलिक वितानों के अनुसार दोनों बाजार पृथक–पृथक पहचाने जाते हैं। अनौपचारिक साख बाजार के आकार के विषय में व्यवस्थित सूचनाएँ सुलभ नहीं हैं।

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कोई सशक्त वित्तीय व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। बाद मे सरकार ने उद्योग और कृषि, दोनों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नए वित्तीय संस्थानों की रचना प्रारंभ की, इसके लिए उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार है :

1) वित्तीय संस्थानों का राष्ट्रीयकरण : उस काल के इन महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रीयकरण किया गया :

   i) वर्ष 1948 में 1953 में स्थातिप निजी क्षेत्रीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीकरण किया गया।

   ii) वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इन्डिया का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया ।

   iii) वर्ष 1956 में 245 जीवन बीमा कंपनियों (154 जीवन बीमा, 16 विदेशी तथा 175 भविष्य निधि कंपनियों) का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया गया।

   iv) वर्ष 1969 में 14 व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण

   v) वर्ष 1972 में 107 सामान्य बीमा कंपनियों (55 भारतीय बीमा कंपनियाँ तथा 52 अन्य निकायों के सामान्य बीमा विभाग) अधिग्रहित कर भारतीय सामान्य बीमा निगम का गठन किया गया।

   vi) वर्ष 1980 में 6 अन्य व्यावसायिक बैंको का राष्ट्रीयकरण।

नए संस्थानों का गठन

भारतीय वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा उद्योगों को साख सुलभ कराने के लिए 1964 में भारतीय युनिट ट्रस्ट (471) की स्थापना की गई। इस जनता से बचतें जुटा कर विनिर्माता निकायों को साख प्रदान करने का कार्य दिया गया था। इसने अपने ये तीन अधीनस्थ निकाय बनाए है;

द यूटीआई बैंक लि॰;

द यूटीआई निवेशक सेवा लि॰; तथा

द यूटीआई प्रतिभूति एक्सचेंज लि॰

(ii) विकास बैंक कृषिक एवं औद्योगिक विकास के लिए मध्यम एवं दीर्घावधि का वित्त प्रदान करते हैं। ये केवल साख नहीं देते बल्कि निवेश प्रकल्पों का अनुसंधान, प्रक्लप रिर्पोट निर्माण तकनीकी सलाह की व्यवस्था और औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन आदि की सेवाएँ भी देते हैं। इनसे पिछड़े क्षेत्रों एवं छोटे तथा नए उद्यमियों के विकास की भी अपेक्षा की गई है। विभिन्न वर्षों में निम्नांकित विकास बैंक गठित किए गए हैं :

(क) **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) :** का गठन 1948 में औद्योगिक निकायों को मध्यम एवं दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए किया गया था।

(ख) **राज्य वित्त निगमों (SFCs) :** का गठन राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत राज्यों के अपने–अपने क्षेत्र में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को मध्यम से दीर्घकालिक वित्त की सुविधा देने के लिए हुआ। साथ राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य औद्योगिक निवेश निगामें के गठन भी किए गए।

(ग) **भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (ICICI)** : की स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र में मध्यम एवं बड़े उद्योगों के विकास के लिए किया गया था (इसका अब ICICI बैंक में विलय हो चुका है)।

(घ) **भारतीय पुनः वित्त निगम (RCI) :** का गठन 1958 में मध्यम एवं लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए गए सावधि त्रृणों के पुनः वितीयन के लिए किया गया था (यह अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का हिस्सा है)।

(च) **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) :** की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक की एक पूर्ण स्वाम्त्वि की अधीनस्थ कंपनी के रूप में 1964 में हुआ। इसे सभी वित्तीय संस्थानों के विकास बैंगि तथा काय्रों में समन्वय का शीर्षस्थ निकाय बनाया गया (अब केंद्रीय सरकार इसकी स्वामी है)।

(छ) **भारतीय लघु उद्योग बैंक** की रचना इसी नामके अधिनियम के अधीन 1990 में की गई। यह सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम क्षेत्रीय उद्यमों के वित्तीयन एवं विकास हेतु शीर्षस्थ निकाय है तथा इन कार्यों में लगे अन्य निकायों के कामों में समन्वय करता है।

(iii) **कृषिक वित्तीयन संस्थान :** वर्ष 1963 में ही कृषिक पुनः वित्तीयन एवं विकास निगम की स्थापना लघु सिंचाई, खेत यंत्रीकरण, भूमी विकास, फल–पुष्प, कृषि और डेयरी विकास के बड़े प्रकल्पों के वित्तीयन के लिए कर दिया गया था। किन्तु 1982 में राष्ट्रीय कृषिक एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) का गठन करते समय पूर्ववर्ती निगम को इसी में

विलयित कर दिया गया अब यह NABARD ही संपूर्ण कृषिक वित्तीयन कार्यो के लिए जिम्मेदार है।

(iv) **भारतीय निर्यात एंव आयात बैंक** (EXIM BANK) : की स्थापना 1982 में IDBI के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन प्रभाग को संभालने के लिए की गई। यह विदेशी व्यापार वित्तीयन कार्यों में संलग्न अन्य सभी संस्थानों के कार्यों का समन्वय करने वाला शीर्ष संस्थान भी है।

(v) **राष्ट्रीय आवास बैंक** (NHB) : की रचना क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर आवास क्षेत्रक के लिए संसाधन जुटाने वाले शीर्ष निकाय के रूप में 1988 में हुई। यह अन्य आवास वित्त निगमों के लिए पुनः वित्तीयन, अद्योलेखन और गारंटी सुविधाएँ प्रदान करता है तथा उनके कार्यों में समन्वय करता हैं

(vi) **भारतीय स्टॉक होल्ड़िग निगम लिमिटिड** (SHCL) : का गठन 1987 में भारत के स्टॉक एवं पूँजी बाजारों को और सुगठित करने के लक्ष्य से किया गया। ये वैयक्तिक एंव निगमित निवेशकों को त्वरित शेयर अन्तरण, क्लीयरिंग सेवाएँ, निक्षेपागार सेवा, प्रबंधन सूचना सेवाएँ तथा विकास सेवाएँ प्रदान करता है।

(vii) **वित्तीय उद्योग को बढ़ावा देना :**

(क) **म्युचुअल फंड उद्योग :** निजी एवं सार्वजनिक वित्तीय उपक्रमों को म्युचुअल फंड स्थापित करने को प्रौत्साहित किया जा रहा है।

(ख) **उद्यम पूँजी उद्योग :** यहाँ भी निजी एंव सार्वजनिक वित्तीय उपक्रमों को उद्यम पूँजी वित्तीयन के लिए प्रौत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) **साख अनुक्रमणनिर्धारण एजेन्सियाँ :** जैसे कि Credit Rating and Information services India Ltd. (CRISIL), Investment Information and Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA) तथा Credit Analysis and Research Ltd. (CARE) आदि की स्थापना निवेशको को अपेन निर्णय लेने में तथा अपने निवेश को जोख़िम भरे प्रकल्पों से बचाने में सहायता देने के उद्देश्य से की गई है।

(viii) **नवीन वित्तीय उपस्करों का प्रारंभ :** अनेक नए एवं पृथक वित्तीय उपस्कर, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्रीय बॉण्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, डाकघर बचत योजनाएँ, पृथक प्रकार के शेयर ओर त्रृण पत्र, विभिन्न बीमा योजनाएँ, और बैंक जमा योजनाएँ विभिन्न प्रकार के निवेशकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए प्रारीा की जा रही हैं।

वित्तीय संरचना : भारत में विविध एवं अनेक वित्तीय संस्थान, वित्तीय मध्यस्थों के कार्य करते हैं। रिज़र्व बैंक तो इस व्यवस्था का सिरमोर है ही, व्यापारी भी 40 प्रतिशत वित्तीय परिसंपदाधारी होने के नाते इस कार्य में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान अखिल भारतीय, क्षेत्रीय एवं राजय स्तरीय विकास वित्तीयक निगम, बीमा निगम, भारतीय युनिट ट्रस्ट जैसे म्युचुअल फंड तथा डाकघर बचत बैंक हैं।

साठ के दशक काल के समय से भारतीय वित्तीय व्यवस्था की रचना में वृम्मान राजकीय भागीदारी एवं नियंत्रण की विशेषता रही है। यह व्यापक स्तर पर नियंत्रण मूलतः वांछनीय दिशाओं तथा विकास वरीयता कार्यों में वित्त के प्रवाह को निर्देशित करने से प्रेरित रहा हैं।

वर्ष 1991 में प्रारंभ आर्थिक सुधारों न वित्तीय क्षेत्र में भी संरचनात्मक बदलाव किए हैं और अब निजी क्षेत्र की भूमिका भी बड़ी हो चली है। अब भारत में 91 व्यावसायिक बैंक हैं जिनमें 20 ही सरकारी बैंक हैं, भारतीय स्टेट बेंक और 19 राष्ट्रीयकृत बैंक। इनकी एक बड़ी समस्या त्रृण शोधन में देरी है और यह अन्य वित्तीय संस्थानों में भी संक्रमित हो रही। कृषिक एवं औद्योगिक वित्त में तो यह बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है।

संक्षेप में, 1950 से वित्तीय व्यवस्था का विकास क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीयकरण की गाथा है और यह दर्शाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में संवर्धन से वित्तीय क्षेत्र की विकास गति धीमी नहीं पड़ी हैं इस व्यापक वित्तीय गहरीाई में व्यावसायिक बैंकों की परिसंपदाओं में वृद्धि का भी बड़ा योगदान रहा हैं अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रवाहों के महत्व में सापेक्ष वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट कि वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त वित्त संपन्न क्षेत्रों एवं क्षेत्रकों से उन क्षेत्र/क्षेत्रकों को अंतरण करने में अधिकाधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है जहाँ उस वित्त की आवश्यकता है। भारत में संगठित क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता के कार्य अनेक प्रकार के बहुत से संस्थान कर रहे है जो मुख्यतः बड़े नगरों और कस्बों में ही अवस्थित हैं।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 2

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) वित्तीय संस्थानों के महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या हैं?

……...……..

……...……..

……

2) वित्तीय व्यवस्था के महत्व की व्याख्या करें।

……...……..

……...……..

……

3) भारतीय वित्त व्यवस्था से आपका क्या अभिप्रायः है?

……...……..

……...……..

……

4) भारतीय वित्त व्यवस्था का एक संक्षिप्त विहंगम चित्रण करें।

……...……..

……...……..

1.7 वित्तीय संस्थानों का नियमन

अर्थव्यवस्था इनकी बहुत अंतरंग भूमिका के कारण ही सरकार को वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण एवं नियमन अनिवार्य लगता हैं ऐतिहासिक दृष्टि से किसी वित्तीय संस्थान का दिवाला निकलने पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता हैं पूरे विश्व में समय–समय पर निवेशकों के हित संरक्षण और वित्तीय संस्थानों के सुचारू संचलन के ध्येय से अनेक विधायी उपाय किए गए है। किसी भी विध्येक के लक्ष्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता हैं अनियमनाधीन वितान में तो प्रायः अधिक भौतिक/शारीरिक, बौद्धिक एवं धन–बल ही दबंग वर्गों को बहुत से बड़े कार्यों आदि पर कब्ज़ा जमाने में साहयक होत जाते हैं। सामान्य जन तो इन आशंकाओं के चलते विनियामकों द्वारा निर्मित हो सकने वाले समतल स्तर का ही आसरा रहता है।

नियामक निकायों को वास्तविक धरातल का ज्ञान होना चाहिए और यह समझना भी चाहिए कि उनकी भूमिका धन संपदा सृजन और वितरण में 'सहायक' मात्र की है। विधि एवं विनियमन में विद्यमान प्रावधानों का प्राकग उपयुक्त समय पर उपयुक्त रूप में इस प्रकार होना चाहिए कि विनियमाधीन सभी निकायों का स्पष्ट संकेत मिल जाए कि उनके द्वारा किसी भी कानूनी व्यवस्था के उल्लंघन को सहन नहीं किया जाएगा।

यह भी ध्यान रहे कि सद्भावनाएँ व्यावहारिक पटल पर मूर्तरूप ले सकें, भले ही इसके लिए पूर्ववर्ती विधायी प्रावधान नहीं हों। कार्य विधि में इस बात पर आग्रह रहना चाहिए कि क्या करणीय कार्य है तथा क्या प्रतिबंधित या अकरणीय हैं। इनके बीच के विस्तृत वितान में एक सदाशयपूर्ण व्यक्ति को व्यवस्था नियमन हेतु बहुत कुछ स्थान मिल जाता है।

विनियामक निकायों के कर्ता प्रायः 'न्यायाधीश' की भूमिका में होते हैं जिन्हें साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करने है। इस कार्य में ''दूसरे पक्ष की भी सुनवाई हो'' एक 'अपराक्राम्य' मूल मंत्र होता हैं अतः इन निकायों के शीर्ष पदों पर व्यक्तियों का चयन करते समय निष्पक्षता, वस्तुपरकता, स्वायत्तता (स्वतंत्रता से पृथक रूप में) तथा बिना भय और लगाव के काम करने की क्षमता को ही अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए।

जनसामान्य की जमाएं स्वीकार करने वाले निकायों कि एक विशेषता उनका गहन विनियमन है। ये न केवल आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि इसलिए भी कि इनके पास जमा कराई गई राशियों को सुरक्षित मानकर ही आम आदमी वहाँ अपनी गाढ़ी कमाई जमा कराता हैं यदि लोग अपने धन को बचत खातों में या निवेश कार्यों में नहीं लगाएंगे तो आर्थिक संसाधनों का आवंटन बहुत दक्षतहीन हो जाएगा।

प्रत्येक देश में सरकारी एजेन्सियाँ इस क्षेत्र के लिए नियम–विनियम बनाती हैं और इसके क्रिया–कलापों की निगरानी करती हैं। भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य नियामक रिजर्व बैंक ही वित्तीय व्यवस्था का भी शीर्षस्थ निकाय है।

बैंक/गैर बैंक समेकन एवं निगरानी समेकन : बैंकिंग, प्रतिभूति एवं बीमा बाजारों में निरंतर समेकन हो रहा हैं इसके प्रतिक्रिया स्वरूप पिछले तीन इशकों में वित्तीय क्षेत्र के नियमन में पंरपरागत क्षेत्रकवार निगरानी से हटकर (अर्थात् उनके अलग–अलग पर्यवेक्षण के स्थान पर) विभिन्न क्षेत्रों पर समन्वयपूर्ण पर्यवेक्षण का चलन बढ रहा है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्वभर में पर्यवेक्षण–विनियमक में दिखाई देने लगा है।

अब विश्व में तीन बड़ें स्तरीय प्रतिमान प्रयोग हो रहे हैः एक त्रिस्तंभकीय क्षेत्रकीय प्रतिमान(बैंक, बीमा और प्रतिभूति), द्विस्तंभीय प्रतिमान या 'द्वि–शिखर' प्रमिान (बुव्ति या विवेकपूर्ण एंव व्यावसायिक व्यवहार) तथा एक समेकित प्रतिमान (जहां सभी प्रकार का विनियम एक ही व्यवस्था के अंतर्गत होता हैं)। विश्व बैंक के 'बैंक नियमन एवं पर्यवेक्षण के सर्वेक्षण'' ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तीन एवं दो स्तंभ वाली व्यवस्था से समेकित नियमन व्यवस्था की ओर चलन में वृद्धि हो रही है।

मेलेस्की और पोडयीरा (2012) ने विवेकपूर्णत एवं व्यावसायिक व्यवहार पर्यवेक्षण की संरचनाओं का विवेचन किया है और अन्य बातों के साथ–साथ उन्होंने पाया है कि उच्चतर आर्थिक विकास स्तर की ओर अग्रसर देश प्रायः अपनी पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं में समेकन करते दिखाई देते हैं। वित्तीय गहराई में वृद्धि देशों को अपनी पर्यवेक्षण व्यवस्था में अधिक समेकन करने को प्रेरित करती है तथा व्यावसायिक व्यवहार समेकन के विरूद अत्यंत लाभशील बैंक क्षेत्रक एक बड़ी शक्ति बन जाता हैं। इन तीन प्रतिमानों में से किसी को भी श्रेष्ठतर बताना सरल नहीं होता क्योंकि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष उभर कर नहीं आया है जो विनियामक तन्त्र के प्रभावों को अन्य प्रभावों से पृथक रूप से दर्शा सके।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 3

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) क्या वत्तीय संस्थानों के नियमन की आवश्यकता हैं?

……...……..

……...……..

……

2) वित्तीय संस्थानों का नियमन किस प्रकार हो रहा है?

……...……..

……...……..

……

3) क्या संस्थानों में विनियमों के विषय में भय या सम्मान होना चाहिए?

……...……..

……...……..

……

4) आपके विचार में शीर्ष विनयामकों में क्या विशेष गुण होने चाहिए?

……...……..

……...……..

1.8 सार–संक्षेप

जमा, त्रृण, निवेश एवं मुद्रा विनिमय के कार्यों में संलग्न कंपनी को वित्तीय संस्थान (FI) कहा जाता है। इस वित्तीय क्षेत्रक में बहुत व्यापक वितान के सेवा कार्य होते हैं जैसे कि बैंक, ट्रस्ट कंपनियाँ, दलाली फर्में तथा निवेश व्यापारी। FI के आकार एवं कार्य वितान तथा भौगोलिक कार्य क्षेत्रों में अन्तर हो सके हैं। ये व्यक्तियों और व्यापारिक ग्राहकों को अनेक प्रकार के उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थानों के उत्पादों और सेवाओं में अन्तर भी होते हैं। निवेशक जन समुदायों एवं निगमों की जरूरतों के अनुसार उन्हें उपयुक्त उत्पाद एवं सेवाएँ देने वाली वित्तीय व्यवस्था प्रभावपूर्ण मानी जाती है। तब सभी प्रकार्य 'स्वस्थ' रूप से निष्पादित होते हैं तो सभी उद्देश्य भी सफल होते हैं तथा तथा मौद्रिक व्यवस्था भी अधिक स्थापित्य पूर्ण बन जाती है। वित्तीय व्यवस्था का स्वास्थ्य विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अन्यान्य प्रकार्यों के बीच एक नाजुक से संतुलन पर निर्भर करता है। किसी एक प्रकार्य के निष्पादन में समस्याओं का वित्तीय व्यवस्था की अन्य क्षमताओं पर भी प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय संस्थान धन के निवेश तथा उससे अच्छी प्रतिप्राप्ति की श्रेष्ठ विधि प्रदान करते हैं। वे देशो को अपनी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में यहायता देते हैं ग्राहकों को भी यह समझकर चलना चाहिए कि इन संस्थानों की कार्य विधि में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होता है। व्यवस्था में संशोधन एक बहुत बड़ी आशंका का संचार कर देता है यह है समय पर भुगतान नहीं हो पाने की आशंका। देश की बैंक व्यवस्था का स्वास्थ्य ही उसकी आर्थिक स्थिरता का आधार है। किसी वित्तीय संस्थान में भरोसा कम होने पर 'बैंको पर धावे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

1.9 शब्दावली

जमापुष्टि यह जमाकर्ता और अधिकृत बैंक या वित्तीय संस्थान के बीच एक समझौते का प्रमाण पत्र हैं यह किसी निश्चित अवधि के लिए उस संस्थान के पास निश्चित राशि के निवेश की पुष्टि है तथा संस्थान इस पर निर्दिष्ट ब्याज युकता है। जमाकर्ता परिपक्कवता पर अपनी राशि वापिस निकाल सकता है। पर वे अवधि समापन से पहले धनराशि नहीं निकाल सकते।

साख अनुक्रमण निर्धारण ऐजेन्सी : यह अनुक्रमण निर्धारण यह दर्शाता है कि त्रृणी त्रृणानुबंध की शर्तों के अनुरूप त्रृण वापस करने तथा ब्याज चुकाने में समर्थ होगा। एक उच्च साख अनुक्रमण बिना किसी समस्या के पूरी त्रृण वापसी को दर्शाता है तो निम्न अनुक्रमण सुझाता है कि त्रृणी विगत समय में त्रृण शोधन में इतना सफल नहीं रहा है तथा वह भविष्य में शोधन में अधिक सफल नहीं हो पाएगा। यह अनुक्रमण त्रृण दिए जाने की तथा उसके लिए अच्छी शर्तें मिलने की संभावनाओं को संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

मुद्रा एक्सचेन्ज एक देश की मुद्रा के विदेशी मुद्रा में पिरिवर्तन की प्रक्रिया। इसे विदेशी मुद्रा बाजार से समीकृत नहीं करना चाहिए जहां व्यापारी और वित्तीय संस्थान मुद्राओं का क्रय–विक्रय करते हैं।

वित्तीयकरण समस्त अर्थव्यवस्था के सापेक्ष किसी देश के वित्तीय क्षेत्र के आकार एंव महत्व में वृद्धि। इस प्रक्रिया में वित्तीय संस्थान बाजार आदि के आकार और प्रभाव में वृद्धि होती हैं। वित्तीयकरण से प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास में अधिक निवेश संभव हो पाए हैं।

वित्तीय जोखिम यह किसी निवेश या व्यावसायिक उद्यम में धन–हानि की आशंका ही है। इसमें संबद्ध पक्षों को पूँजीगत हानी की जोख़िम होती है। कुछ अधिक सामान्य तथा विशिष्ट जोख़िमों में सम्मिलित हैं : साख जोख़िम, तरलता जोख़िम तथ क्रियात्मक स्तर की जोख़िम। वित्तीय जोख़िम विविध तथा सर्वव्यापी प्रतीत होते है – प्रायः सभी को इनका सामना करना पड़ता है।

गिरवी रखने वाले दलाल ये व्यक्ति या फर्मे त्रृण लेने वाले की किसी संपत्ति को अपने अस्थायी अधिकार मे प्रतिभूति स्वरूप रखकर उसे त्रृण देते हैं। वह समय पर त्रृण चुका कर अपनी परिसंपदा वापस पा सकता हैं किन्तु यदि वह समय पर त्रृण शोधन नहीं कर पाता तो गिरवी दलाल उस संपत्ति को बेचकर अपनी उगाही करने को स्वतंत्र होता है।

उद्यम पूँजी यह कंपनियों और उद्यमियों को प्रदान किया गया वित्त हैं यह उनके विकासक्रम में विभिन्न सोपानों पर दिया जा सकता है – प्रायः इससे उनके कार्य आरंभ के समय दी गई राशियों के रूप में अधिक जाना जाता हैं इस प्रकार के निवेशक को उद्यम निवेशक कहते हैं। यह उद्यम पूँजी प्रायः धनी निवेशकों, निवेश बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से मिलती हैं यद्यपि निवेशक के लिए ऐसे धन देना जोख़िमपूर्ण होता है किन्तु औसत से अधिक प्रतिप्राप्ति की संभावना इसका आकर्षण है। इसका स्वरूप सदैव मौद्रिक नहीं होता यह तकनीकी और प्रबंधन विशेषज्ञता के रूप में भी हो सकती है।

1.10 उपयोगी पुस्तकें

वित्तीय

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

i) देखें भाग 1.2

ii) भाग 1.2 को देखकर अपना उत्तर लिखें।

iii) भाग 1.2.1 को अपने उत्तर का आधार बनाएं।

iv) भाग 1.3.1 देखें जिसमें वित्तीय संस्थानों के प्रकार भेदों का विवरण है।

बोध प्रश्न 2

i) अपने उत्तर के लिए भाग 1.5 देखें।

ii) भाग 1.4 को देखकर अपना उत्तर बनाएं।

iii) देखें भाग 1.6

iv) भाग 1.6 देखकर उत्तर लिखें।

बोध प्रश्न 3

i) देखें भाग 1.7।

ii) देखें भाग 1.7।

iii) देखें भाग 1.7

iv) देखें भाग 1.7।

1.12 सत्रांत प्रश्न

1) '' वित्तीय मध्यस्थ'' शब्द संध का कया अर्थ है? इनके विभिन्न स्वरूप तथा इनके द्वारा निष्पादित प्रकार्य बताइए।

2) संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के संस्थानों के वित्तीयकरण के चार अवयव बताइए। उनके प्रकार्य समझाइए।

3) वित्तीय संस्थान कौन–सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं?

4) वित्तीय संस्थानों के अभिलक्षणों की व्याख्या करें। वे कौन से प्रकार्य संपादित करते हैं?

5) वित्तीय संस्थानो के नियमन की क्या अवश्यकता होती है? उनका नियमन किस प्रकार किया जाता है?